संख्या-900/2017/2328/22-2-2017-17(110)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2017**

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्ला उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक-07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्ला उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल, ग्राम गनपत का बगीचा, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 10.05.1996 को अपनी पत्नी (मृतका) शीला से शराब पीने के लिए पैसे मांगे शीला द्वारा इन्कार करने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गम्भीर रूप से जल गयी। दिनांक 25.05.1996 को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शीला की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-295/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 14.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-10.2009 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 21 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 10.05.1996 को अपनी पत्नी (मृतका) शीला से शराब पीने के लिए पैसे मांगे शीला द्वारा इन्कार करने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-49 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कल्ला उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्ला उर्फ मूलचन्द्र (बन्दी संख्या-4439) पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सैंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-900/2017/2328/(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सैंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-900/2017/1958@22-2-2017-17(110)/2013

दिनांक 27 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध बन्दी कल्ला उर्फ मूलचन्द्र (बन्दी संख्या-4439) पुत्र श्री बाबूलाल, ग्राम- गनपत का बगीचा, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 10.05.1996 को अपनी पत्नी (मृतका) शीला से शराब पीने के लिए पैसे मांगे शीला द्वारा इन्कार करने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गम्भीर रूप से जल गयी। दिनांक 25.05.1996 को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शीला की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-295/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 14.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08-10.2009 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 21 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 10.05.1996 को अपनी पत्नी (मृतका) शीला से शराब पीने के लिए पैसे मांगे शीला द्वारा इन्कार करने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-49 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कल्ला उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in